उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर।

सं. एनडब्ल्यूआर–एचक्यू0ओपीटीजी(संवनि)/6/2021 दिनांक 11.04.2025

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक – अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषयः रिले रूम में आग लगने पर कार्यवाही

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या–4

सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे में एक सीलड बॉक्स में रिले रूम के एस. एण्ड टी. ताले की एक अतिरिक्त चाबी प्रदान की गई है। जिसका उपयोग एस. एण्ड टी. स्टाफ की अनुपलब्धता के दौरान आग लगने जैसी आपात स्थिति में किया जाता है। जब भी एस. एण्ड टी. स्टाफ की अनुपलब्धता के दौरान आग लगने जैसी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर रिले रूम के एस. एण्ड टी. ताले की चाबी निकालने की जरूरत हो तो स्टेशन मास्टर द्वारा सीलड बॉक्स की सील तोड़ी जाएगी और इस आशय का रिले रूम चाबी रजिस्टर में इंद्राज किया जायेगा। एस. एण्ड टी. स्टाफ को इस आशय की सूचना दी जाएगी कि उद्देश्य, जिसके लिए चाबी निकाली गई थी, पूरा होने के बाद रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी को बॉक्स में रख कर पुनः बॉक्स को सील करें।

रिले रूम में आग लगने पर कार्यवाहीः–

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है, तो ड्यूटी का स्टेशन मास्टर तुरंत सेक्शन कंट्रोलर को कंट्रोल फोन पर एवं लैंड लाइन फोन/मोबाइल पर नजदीकी फायर स्टेशन को सूचित करेगा। इसके अलावा, नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा–

(i) जब स्टेशन पर एस. एण्ड टी. स्टाफ रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी के साथ उपलब्ध हो (पैनल रूम/उपकरण रूम/बैटरी रूम/ड्यूटी रूम)–

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है या रिले रूम में आग लगने या आग लगने की संभावना का पता चलता है, एस. एण्ड टी. स्टाफ एसएम चाबी एवं एस. एण्ड टी. चाबी दोनों को ले लेगा, तुरंत रिले रूम के ताले खोलेगा और रिले रूम में दिए गए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग को बुझाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो, स्टेशन पर उपलब्ध अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। रिले रूम में आग को नियंत्रित करने में सहायता के लिए एस. एण्ड टी. स्टाफ, स्टेशन पर उपलब्ध परिचालन और अन्य रेलवे कर्मचारियों की मदद भी लेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध फायर अलार्म पैनल पर पावती बटन को दबा कर हूटर को तभी बंद करने की कार्यवाही की जाएगी जब आग को नियंत्रित कर लिया गया हो। आग को नियंत्रित करने तक, फायर अलार्म हूटर का लगातार बजना, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक रेलवे कर्मचारी और आम जनता अलार्म साउंड के लिए आकर्षित हो और अधिकतम सहायता प्राप्त की जा सके।

(ii) जब स्टेशन पर एस. एण्ड टी. स्टाफ रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी के साथ उपलब्ध नहीं हो–

जब भी स्टेशन मास्टर के कमरे में उपलब्ध ऑडियो अलार्म सिस्टम का हूटर बजता है या रिले रूम में आग लगने या आग लगने की संभावना का पता चलता है तब ड्यूटी का स्टेशन मास्टर तुरंत बॉक्स की सील को तोड़कर रिले रूम की एस. एण्ड टी. चाबी निकाल लेगा। वह रिले रूम की एसएम चाबी भी ले लेगा और रिले रूम खोलने के लिए इन दोनों चाबियों का उपयोग करेगा एवं रिले रूम में आग लगने की जांच करेगा और रिले रूम में दिए गए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके इसे बुझाने की कार्यवाही करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो, स्टेशन पर उपलब्ध अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। स्टेशन मास्टर रिले रूम की आग को नियंत्रित करने में सहायता के लिए स्टेशन पर उपलब्ध अन्य रेलवे कर्मचारियों की मदद लेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध फायर अलार्म पैनल पर पावती बटन को दबा कर हूटर को तभी बंद करने की कार्यवाही की जाएगी जब आग को नियंत्रित कर लिया गया हो। आग को नियंत्रित करने तक, फायर अलार्म हूटर का लगातार बजना, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक रेलवे कर्मचारी और आम जनता अलार्म साउंड के लिए आकर्षित हो और अधिकतम सहायता प्राप्त की जा सके।

नोटः– उ.प.रे. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सहायक नियम 14.03(5) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये एवं शंका होने पर अंग्रेजी संदर्भ देखें।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)

Digitally Signed by Gopal Krishna Sharma
Date: 16-04-2025 15:59:17
Reason: Approved